

**कैस (CAS-CAREER ADVANCEMENT SCHEME) के लिए पात्रता प्रोफोर्मा
सहायक प्रोफेसर स्टेज 1 से सहायक प्रोफेसर स्टेज 2**

- नाम :
- पिता का नाम :
- जन्म तिथि :
- विभाग :
- पदनाम :
- दावा की गई सहायक प्रोफेसर के रूप में पिछली सेवाकाल से तक
- हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार तिथि :
- हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कन्फर्म होने की तिथि :
- मूल्यांकन (असेसमेंट) अवधि :
- पदोन्नति के लिए पात्रता तिथि :
- पात्रता से पहले अर्जित डिग्री (डिग्रियां) :
- क्या यह यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2016 के अनुसार है / हैं : हाँ / नहीं
- दावा किए गए एपीआई (API) स्कोर / सत्यापन / पात्रता :

कैस (CAS) के अंतर्गत पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम एपीआई (API)					
वर्ग	विवरण	दावा स्कोर	अधिकतम स्कोर	सत्यापित	न्यूनतम अपेक्षित/पात्रता
I. शिक्षण - अधिगम मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप	प्रत्यक्ष शिक्षण		70 / प्रति वर्ष		80 / प्रति वर्ष
	परीक्षा से संबंधित		20 / प्रति वर्ष		
	नवाचारी (Innovative) शिक्षण		10 / प्रति वर्ष		
II. प्रोफेशनल विकास, सह-पाठचर्या और विस्तार	सह-पाठचर्या, विस्तार और फील्ड आधारित कार्यकलाप से संबंधित विद्यार्थी		15 / प्रति वर्ष		50 / मूल्यांकन अवधि
	कॉर्पोरेट जीवन में योगदान		15 / प्रति वर्ष		
	प्रोफेशनल विकास कार्यकलाप		15 / प्रति वर्ष		
III. शोध और शैक्षणिक योगदान	III (E) ii के अंतर्गत स्कोर को श्रेणी III के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20% तक सिमित किया जाना है*				20 / मूल्यांकन अवधि
IV. श्रेणी II एवं III के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई (API) स्कोर**					90 / मूल्यांकन अवधि

* विवरण के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2016 का परिशिष्ट III तालिका I और परिशिष्ट III तालिका II A देखें।

** श्रेणी II + III के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम स्कोर को हासिल करने के लिए श्रेणी II अथवा श्रेणी III से शेष अंक (point)।

विभाग / केंद्र के विभागाध्यक्ष / निदेशक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कुलसचिव कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाए

- हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्य सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष के रूप में विगत सेवा अवधि :
- हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्ति तिथि :
- पात्रता की तिथि :

कुलसचिव

संबंधित अनुभाग अधिकारी

संबंधित सहायक

स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की संस्तुति :

कुलपति

अधिष्ठाता

विभाग / केंद्र के विभागाध्यक्ष / निदेशक

विषय विशेषज्ञ